

R 2207-II/14

मनकेश्वर प्रसाद द्विवेदी तनय श्री रामनिरजन द्विवेदी उमे 64 साल पैशा, तेवा
निवृत कर्मचारी, निवासी, ग्राम छुसौलथाना/ तहसील, सेमरिया, जिला रीवा

मोरु

===== आवेदक/ निगरानीकर्ता

श्री आरविन्द याठे, कांडा

द्वाष आज दि 23.7.14

प्रस्तुत

बनाम्

=====

कलंक आँफ कॉड ३-७५
शास्त्र राजस्त मण्डल म.प्र. ग्वालियर
श्रीमती साक्षी सिंह पत्नी श्री सुधातं सिंह, नि० ग्राम खम्हरिया चौवैन,
तह. थाना सेमरिया, जिला रीवा मोरु

2. मोरु राज्य

===== गैरनिगरानीकर्ता

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मोरु भू-रा० सं०
1959 विस्त आदेश तहसीलदार तह. सेमरिया
जिला रीवा दिनाक 26.09.11 प्र०क० १४/अ-५/
१०-१। मे पारित ।

28-4-2015

आवेदक की ओर से सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं। पूर्व पेशी पर उनके अभिभाषक श्री आर०एस० सेंगर उपस्थित थे। आवेदक एवं उनके अभिभाषक की तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 41 के अंतर्गत बनाये गये मण्डल की प्रक्रिया एवं प्रथा नियमों के नियम 31 के तहत प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

सहज्य